भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

2011

पत्रांक– डी0 26015/5/2010–1884 दिनांक – 05/9/2012

पुर्ननिविदा आमंत्रित

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना के लिए वाहन चालक उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में।

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 में सरकारी वाहन एम्बेस्डर कार तथा मारूति जिप्सी को चलाने के लिए चालक मासिक दर पर उपलब्ध कराने पर आने वाले खर्च प्रति चालक अंकित करते हुए दिनांक 14.9.2012 तक मुहरबंद लिफाफे में एक वर्ष हेतु पूर्व के समसंख्यक पत्रांक 1714 दिनांक 8.8.12 के निविदा को रद्द करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है

(अ) प्रतिदिन कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्योराः–

1) प्रातः 9.30 से अपराह्न 6.00 तथा पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर आना एवं जाना। आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

2) अवकाशों के दिनों में भी आवश्यकतानुसार वाहन चालक की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

3) सरकारी वाहनों का प्रतिदिन साफ–सफाई किया जाना।

4 अधिकृत वाहन चालक द्वारा ही वाहन को चलाने, उसकी सफाई एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी।

5) चालक को यूनिफॉर्म सहित उपलब्ध कराना।

6) प्रतिदिन वाहन को कार्यालय परिसर में लगाया जायेगा।

7) सरकारी दौरे पर अधिकारियों को पटना से बाहर जाने पर आवश्यकतानुसार वाहन को पटना से बाहर ले जाना होगा।

8) वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स (स्थायी) होना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार नवीकृत हो।

9) वाहन चालक का पूरा विवरण पता एवं लाईसेंस की अभिप्रमाणित छायाप्रति आदेश के उपरांत कार्यालय में जमा करना होगा।

चालक की अनुपस्थिति अथवा कार्यालय वाहन खराब रहने पर चालक का भुगतान मासिक दर का अनुपातिक राशि देय होगा।

(ब) सामान्य शर्तें:–

1) निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रत्येक माह "कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र" दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

2) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय, जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित है।

3) निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे में टेंडर बॉक्स में या कुरियर/डाक द्वारा निदेशालय के पते पर भी भेजा जा सकता है। दिनांक 14.9.2012 के अपराह्न 3 बजे तक टेंडर बॉक्स में डाल सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदादाता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलते समय रह सकते हैं।

4) निविदादाता को श्रम विभाग/वाणिज्य–कर/सेवा–कर/कर्मचारी भविष्य निधि विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उक्त पंजीकृत संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।

5) निविदादाता द्वारा किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने की घोषणा अपने लेटरहेड पर स्वअभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

6) निविदादाता फर्म द्वारा संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7) भुगतेय राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जाएगी।

8) मुहरबंद निविदा वाले लिफाफे के उपर साफ–साफ बड़े एवं पठनीय अक्षरों में जनगणना निदेशालय, बिहार में "वाहन चालक कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।

4/9/12

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का0 अ0)
जनगणना परिचालन, बिहार, पटना।

1) ORGI Website
2) Notice Board
3) निविदा समिति के सभी सदस्य
4) श्री भास्कर मिश्रा, उप महारजिस्ट्रार (जीवनांक) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ ।